

भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
Survey of India



एक कदम स्वच्छता की ओर  
दूरभाष सं 0141-2236840  
फैक्स सं 0141-2236891  
E-Mail - raj.gdc.soi.@gov.in



निदेशक का कार्यालय  
राज 0 भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र  
भारतीय सर्वेक्षण विभाग  
ग्रेट आर्क भवन-1, सेक्टर-10,  
विद्याधर नगर, जयपुर-302 039  
OFFICE OF THE DIRECTOR  
RAJASTHAN GEO-SPATIAL DATA CENTRE  
SURVEY OF INDIA  
GREAT ARC BHAWAN-1, SECTOR-10,  
VIDYADHAR NAGAR, JAIPUR-302 039.

राजस्थान भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र नेमी आदेश सं. 03 /37-जी-9, दिनांक 24 मार्च, 2021

1. हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नकद पुरस्कार :-

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं 15/5/69-एच.आई. दिनांक 14-05-1969, कार्यालय ज्ञापन सं-12012/1/78-रा.भा (डी) दिनांक 24-02-1978, कार्यालय ज्ञापन सं-18/3/94/एच.टी.एस (मु.) दिनांक 10-02-1995, कार्यालय ज्ञापन सं-21034/66/2010-रा.भा.(प्रशि.) दिनांक 29-07-2011 एवं कार्यालय ज्ञापन सं-12011/4/89 रा.भा.(प्रशि.) दिनांक 12-07-1989 के अनुसार इस कार्यालय के निम्नलिखित कर्मचारी को हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन जनवरी, 2020 में आयोजित हिन्दी टंकण परीक्षा 97 प्रतिशत से अधिक अंको से उत्तीर्ण करने पर कुल ₹ 2400/- (रुपये दो हजार चार सौ मात्र) नगद पुरस्कार के अतिरिक्त कर्मचारी द्वारा निजी तौर पर टंकण पाठ्यक्रम परीक्षा उत्तीर्ण करने पर एक मुश्त राशि ₹ 1600/- (रुपये एक हजार छः सौ मात्र), कुल ₹ 4000/- (रुपये चार हजार मात्र) स्वीकृती एदत द्वारा प्रदान की जाती है।

| क्र.सं. | नम व पद                      | परीक्षा का नाम                                     | प्राप्तांक | प्रतिशत | नगद पुरस्कार / एक मुश्त राशि               |
|---------|------------------------------|--|------------|---------|--|
| 1.      | कुमारी कंचन अवर श्रेणी लिपिक | हिन्दी टंकण<br>निजी तौर पर टंकण पाठ्यक्रम उत्तीर्ण | 100/100    | 100%    | ₹ 2400/-<br>₹ 1600/-<br>कुल योग - ₹ 4000/- |

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं 3-64/913-हिन्दी दिनांक 17-03-2021)

अतिरिक्त सन्निहित व्यय राज.भू-स्थानिक आंकड़ा केन्द्र के वर्ष 2020-21 के लिए स्वीकृत बजट अनुदान से पूरा किया जायेगा एवं समुचित लेखा शीर्ष के नामे डाला जायेगा।

2. हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करने पर व्यक्तिगत वेतन :-


कुमारी कंचन अवर श्रेणी लिपिक, आर.जी.डी.सी. द्वारा राजभाषा हिन्दी शिक्षण योजना के अधीन टंकण परीक्षा वर्ष-2020 के दौरान उत्तीर्ण होने पर एक व्यक्तिगत वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाती है। उक्त कर्मचारी को व्यक्तिगत वेतन दिये जाने के संबंध में राजभाषा विभाग द्वारा दी गई शर्तों के अनुसार उक्त कर्मचारी को व्यक्तिगत वेतन पाने के लिए तीन माह के अन्दर विकल्प का प्रयोग करना अनिवार्य है।

(प्राधिकार:- भारत के महासर्वेक्षक का पत्र सं 3-65/913-हिन्दी दिनांक 17-03-2021)

लगातार पृष्ठ 2/-

3. सेवानिवृत्ति:-

| क.सं. | नाम व पदनाम                          | कार्यालय                  | सेवानिवृत्ति की तिथि | टिप्पणी                    |
|-------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1     | श्री अशोक कुमार शर्मा, सहायक         | राजस्थान.जी.डी.सी., जयपुर | 28-02-2021           | अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त |
| 2     | श्री छीतर मल सैनी, एम.टी.एस. (खलासी) | राजस्थान.जी.डी.सी., जयपुर | 28-02-2021           | अधिवार्षिता पर सेवानिवृत्त |

  
 (एम.सी.गौड़)  
 निदेशक  
 आर.जी.डी.सी., जयपुर

वितरण :-

- (1) भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून ..... एक प्रति । (ई-गैल द्वारा)
- (2) अमर महासर्वेक्षक, पूर्वी क्षेत्र, कोलकाता / पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलॉंग / उत्तरी क्षेत्र, चण्डीगढ़ / मध्य क्षेत्र, जबलपुर / पश्चिमी क्षेत्र, जयपुर / उत्तरी क्षेत्र / उत्तर पश्चिमी क्षेत्र/मुद्रण क्षेत्र, हैदराबाद/दक्षिणी क्षेत्र, बैंगलौर/भारतीय सर्वेक्षण एवं मानचित्रण संस्थान, हैदराबाद/विशिष्ट क्षेत्र, देहरादून ।
- (3) निदेशक, पश्चिमी बंगाल एवं सिक्किम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/झारखंड भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/उड़ीसा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/मेघालय और अरुणाचल प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/आसाम और नागालैंड भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/मध्य प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/महाराष्ट्र एवं गोवा भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/गुजरात, दमन व दीव भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/पूर्वी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/ उत्तराखंड एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र / जम्मू एवं कश्मीर भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र / हिमाचल भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र / पंजाब, हरियाणा एवं चण्डीगढ़ भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र / आन्ध्र प्रदेश भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/ त्रिपुरा, मणिपुर एवं मिजोरम भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र / बिहार भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/छत्तीसगढ़ भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र / कर्नाटक भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/केरल एवं लक्षद्वीप भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/तमिलनाडु, पाण्डिचेरी एवं अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र/अन्तर्राष्ट्रीय सीमा निदेशालय /राष्ट्रीय भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र / सर्वेक्षण (हवाई) एवं दिल्ली भू-स्थानिक आँकड़ा केन्द्र / ज्योडीय एवं अनुसंधान शाखा / मानचित्र अभिलेख एवं प्रसार केन्द्र / अंकीय मानचित्रण केन्द्र / भौगोलिक सूचना प्रकृति और सुदूर संवेदन निदेशालय / पूर्वी मुद्रण वर्ग / दक्षिणी मुद्रण वर्ग/ उत्तरी मुद्रण वर्ग / पश्चिमी मुद्रण वर्ग को सूक्तार्थ ।
- (4) अति. महानिदेशक, एम0ओ0- जी.एस.जी.एस., जार्मी हैडक्वार्टर्स, नई दिल्ली ।
- (5) केन्द्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी, देहरादून / क्षेत्रीय वेतन एवं लेखाधिकारी, जयपुर ।
- (6) स्थापना एवं लेखा अधिकारी/कार्यालय अधीक्षक (लेखा/प्रशासन)